

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 225/2022

दायर दिनांक 07.06.2022

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. ईशाराम पुत्र धन्नाराम उम्र 75 वर्ष 2. पीथाराम पुत्र धन्नाराम उम्र 59 वर्ष समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	1. बनाराम दत्तक पुत्र मानाराम उम्र 67 वर्ष 2. छोटी देवी पत्नि रामुराम उम्र 60 वर्ष समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीडवाना 4. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री सुरेन्द्रपुरी वकील वादीगण।
2. श्री मुस्ताक खां वकील प्रति0 सं0 1 की ओर से।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 13.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की एकल खातेदारी के खेत खसरा सं0 593 रकबा 0.0400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 594 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाह, खसरा सं0 595 रकबा 5.6100 हैक्टे0 चाही 3 कुल खसरे तीन कुल रकबा 5.6600 हैक्टे0 वाकै सरहद खाखोली, पटवार हल्का, खाखोली, भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र नूवा तहसील डीडवाना में अवस्थित है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 762 रकबा 0.0700 हैक्टे0 बारानी उत्तम वाकै सरहद खाखोली, पटवार हल्का, खाखोली, भू0 अभि0 नि0 नूवा तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा सं0 593 रकबा 0.0400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 594 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाह, खसरा सं0 595 रकबा 5.6100 हैक्टे0 चाही 3 कुल खसरे तीन कुल रकबा 5.6600 हैक्टे0 व वादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 762 रकबा 0.0700 हैक्टे0 बारानी उत्तम वाकै सरहद खाखोली में स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम सहवन से गोरधनराम गलत दर्ज हो रखा है, जबकि समस्त दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम धन्नाराम दर्ज हो रखा है तथा प्रतिवादी सं0 1 वादीगण का सगा भाई है तथा प्रतिवादी सं0 1 जो कि मानाराम निवासी शाहपुरा जिला सीकर यहा गोद चला गया है तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से समस्त दस्तावेजों में उसके दत्तक पिता मानाराम का ही नाम दर्ज हो रखा है, केवल मात्र खसरा सं0 762 रकबा 0.0700 हैक्टे0 के राजस्व रेकॉर्ड से हटवाया जाना न्यायोचित है इसलिए वादीगण को यह घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरुस्ती का वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है:-

1. यह है कि खेत खसरा सं0 593 रकबा 0.0400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 594 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाह, खसरा सं0 595 रकबा 5.6100 हैक्टे0 चाही 3 कुल खसरे तीन कुल रकबा 5.6600 हैक्टे0 व खसा सं0 762 रकबा 0.0700 हैक्टे0 वाकै सरहद खाखोली में वादीगण के पिता का नाम गोरधनराम के स्थान पर धन्नाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

2. यह है कि खसरा सं० 762 रकबा 0.0700 हैक्टे० बाकै सरहद खाखोली में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।
3. यह है कि खेत खसरा सं० 593 रकबा 0.0400 हैक्टे० बरानी 1, खसरा सं० 594 रकबा 0.0100 हैक्टे० गै० मु० चाह, खसरा सं० 595 रकबा 5.6100 हैक्टे० चाही 3 कुल खसरे तीन कुल रकबा 5.6600 हैक्टे० में से वादीगण का हिस्सा 1/3 व 2/3 व खसरा सं० 762 रकबा 0.0700 हैक्टे० में वादीगण का 1/9-1/9 हिस्सा बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। प्रतिवादी सं० 02 ता 04 को जरिये समन तलब किया गया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 का राजीनामा पेश हुआ, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।


पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

पक्षकारान् राजीनामा अनुसार खातेदारी चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा अनुरूप डिक्री सादिर किया जाता है।


—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, बाकै सरहद ग्राम खाखोली खेत खसरा सं० 593, 594, 595 भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 व 2/3 व खसरा सं० 762 में वादीगण का 1/9 - 1/9 हिस्से में खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के पिता का नाम गोरधनराम के स्थान पर धन्नाराम दुरुस्त किया जाता है तथा खसरा सं० 762 में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


 (कार्तिकेय मीणा)
 सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


 (कार्तिकेय मीणा)
 R.A.S.
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना गौर

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बड़जलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 225/2022

दायर दिनांक 07.06.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. ईशाराराम पुत्र धन्नाराम उम्र 75 वर्ष 2. पीथाराम पुत्र धन्नाराम उम्र 59 वर्ष समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. बनाराम दत्तक पुत्र मानाराम उम्र 67 वर्ष 2. छोटी देवी पत्नि रामुराम उम्र 60 वर्ष समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीडवाना 4. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 13.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुरेन्द्रपुरी वकील वादीगण व श्री मुस्ताक खां वकील प्रतिवादी सं0 1 की और से मदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद ग्राम खाखोली खेत खसरा सं0 593, 594, 595 भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 व 2/3 व खसरा सं0 762 में वादीगण का 1/9 - 1/9 हिस्से में खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के पिता का नाम गोर्धनराम के स्थान पर धन्नाराम दुरुस्त किया जाता है तथा खसरा सं0 762 में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूल महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)